

बिहार सरकार

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

अधिसूचना

पटना, दिनांक

जनवरी, 2017

पत्र संख्या-1/एल1-10-09/2008 गृ0आ0 /श्री एम0 सुनील कुमार नायक, भा0पु0से0 (2005), पुलिस अधीक्षक, ए0टी0एस0, बिहार, पटना को अपने पिता के ईलाज एवं देखभाल हेतु अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 16.08.2016 से 28.10.2016 तक कुल 74 (चौहत्तर) दिनों की उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(रंजन कुमार सिन्हा)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/एल1-10-09/2008 गृ0आ0 /पटना, दिनांक जनवरी, 2017
प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7/प्रभारी ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/एल1-10-09/2008 गृ0आ0 /पटना, दिनांक जनवरी, 2017
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/एल1-10-09/2008 गृ0आ0 265 /पटना, दिनांक 12 जनवरी, 2017
प्रतिलिपि:- अवर सचिव (पुलिस) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक, ए0टी0एस0, बिहार, पटना/श्री एम0 सुनील कुमार नायक, भा0पु0से0 (2005), पुलिस अधीक्षक, ए0टी0एस0, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-5, गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।